अनुदान संख्या 100 – महिला और बाल विकास मंत्रालय
GRANT No. 100 - MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	30507,09,00	30507,10,00	19243,55,85	-11263,54,15
पूरक	Supplementary	1,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				11243,00,13
पूंजीगतः	**Capital:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	1,00	5,01,00	47,61	-4,53,39
पूरक	Supplementary	5,00,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				4,53,39

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः–

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2251"	Major Head "2251"				
सचिवालय–सामाजिक सेवाएं	Secretariat-Social Services				
मू.	O.	5380.00	4260.16	4259.47	-0.69
पु.	R.	-1119.84			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess + बचत– Saving - (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2235"	Major Head "2235"				
सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	Social Security and Welfare				
मू.	O.	439454.00			
पू.	S.	1.00	236580.31	234526.98	-2053.33
पु.	R.	-202874.69			
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"				
उत्तर–पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	297200.00			
			..	..	..
पु.	R.	-297200.00			
मुख्य शीर्ष "3601"	Major Head "3601"				
राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	2281152.00			
			1641261.73	1641261.74	+0.01
पु.	R.	-639890.27			
मुख्य शीर्ष "3602"	Major Head "3602"				
विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	Grants -in-aid to Union Territory Governments with Legislature				
मू.	O.	25991.00			
			43094.68	43094.68	..
पु.	R.	17103.68			

(I) ₹320360.00 लाख का प्रावधान ग्यारह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹319610.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखबद्ध किए गएः–

(का) मुख्य शीर्ष "2552" –

(क) "समाज कल्याण – बाल कल्याण" –

(i) "अम्ब्रेला आईसीडीएस" – ₹211002.00 लाख;

(ii) "स्वायत्त निकायों को समर्थन" – ₹527.00 लाख;

(ख) "समाज कल्याण – महिला कल्याण – महिलाओं के लिए सुरक्षा तथा सशक्तिकरण मिशन" – ₹10857.00 लाख;

(ग) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना– समाज कल्याण – बाल कल्याण" – ₹22200.00 लाख; और

(घ) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना – समाज कल्याण– बाल कल्याण" – ₹52164.00 लाख;

प्रावधान उपर्युक्त पांच शीर्षों के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने तथा शेष अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(खा) मुख्य शीर्ष "3601" – "केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम" –

(क) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना" –

(i) "राष्ट्रीय पोषण मिशन – कार्यक्रम के घटक"– ₹20000.00 लाख – उपयोग प्रमाणपत्रों की प्राप्ति न होने के कारण हुई।

(I) Provision of ₹320360.00 lakhs remained wholly unutilised under eleven heads; of these ₹319610.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(A) Major Head "2552" -

(a) "Social Welfare-Child Welfare"-

(i) "Umbrella ICDS" - ₹211002.00 lakhs;.

(ii) "Support to Autonomous Bodies" - ₹527.00 lakhs;

(b) "Social Welfare-Women's Welfare - Mission for Protection and Empowerment for Women" - ₹10857.00 lakhs;

(c) "Special Component Plan for Scheduled Castes - Social Welfare-Child Welfare" - ₹22200.00 lakhs; and

(d) "Tribal Area Sub-Plan-Social Welfare-Child Welfare" - ₹52164.00 lakhs.

Provisions under the above five heads remained unutilized due to re-appropriation of part funds to functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(B) Major Head "3601" - "Centrally Sponsored Scheme"-

(a) "Special Component Plan for Scheduled Castes"-

(i) "National Nutrition Mission - Programme Component" - ₹20000.00 lakhs - due to non-receipt of utilization certificates.

(ii) "महिला शक्ति केंद्र" – ₹2000.00 लाख; और

(ख) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना – महिला शक्ति केन्द्र" – ₹860.00 लाख।

बचतें उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत उपयोग प्रमाणपत्रों की प्राप्ति न होने और पिछले वर्षों का अव्ययित शेष की उपलब्धता होने के कारण हुईं।

(II) मुख्य शीर्ष "2251" – "सचिवालय – महिला एवं बाल विकास मंत्रालय" – ₹1120.53 लाख की बचत (₹5380.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) महंगाई भत्ते के स्थिरीकरण किए जाने, कोविड–19 महामारी की वजह से कम दौरे किए जाने और आईटी संबंधित उपकरणों की कम अधिप्राप्ति होने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष "2235" – "समाज कल्याण" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के तहत हुईं:–

(का) "बाल कल्याण" –

(क) "अम्ब्रेला आईसीडीएस" – ₹118467.25 लाख की बचत (फरवरी, 2021 में प्राप्ति किए गए ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹227837.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) उपयोग प्रमाणपत्रों की प्राप्ति न होने, प्रशिक्षण/सेमिनारों/कार्यशालाओं के कम आयोजन होने, कम दौरे किए जाने, कम पेशेवरों को रखे जाने, कोविड–19 महामारी की वजह से दावों/प्रस्तावों के कम प्राप्ति होने, किफायत के उपाय किए जाने और निर्गत एलओए के सापेक्ष बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र द्वारा कम निधियों का उपयोग किए जाने के कारण हुई।

(ख) "स्वायत्त निकायों को समर्थन" – ₹2287.58 लाख की बचत (₹5513.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्ति मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने, कम प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किए जाने और

(ii) "Mahila Shakti Kendra" - ₹2000.00 lakhs; and

(b) "Tribal Area Sub-Plan-Mahila Shakti Kendra" - ₹860.00 lakhs.

Savings under the above two heads were due to non-receipt of utilization certificates and availability of unspent balance of previous years.

(II) Under Major Head "2251" - "Secretariat-Ministry of Women and Child Development" - saving of ₹1120.53 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5380.00 lakhs) was due to freezing of dearness allowance, less tours undertaken owing to COVID-19 and less procurement of IT related equipments.

(III) Under Major Head "2235" - "Social Welfare" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Child Welfare" -

(a) "Umbrella ICDS" - saving of ₹118467.25 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹227837.00 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in February, 2021) was due to non-receipt of utilization certificate, conduction of less training/seminars/workshops, less tours undertaken, hiring of less consultant, receipt of less claims/proposals owing to COVID-19 pandemic, economy measures and utilization of less funds by the UTs without Legislature against Letter of Authorisation issued.

(b) "Support to Autonomous Bodies" - saving of ₹2287.58 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5513.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance, conduction

सीएआरए कार्यालय की स्थापना में विलंब होने के कारण हुई।

(खा) "महिला कल्याण" –

(क) "स्वायत्त निकायों को सहायता" – ₹1008.67 लाख की बचत (₹9250.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त स्थानों को न भरे जाने, कम दौरे किए जाने, सेमिनारों और सम्मेलनों का कम आयोजन किए जाने, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से उपयोग प्रमाणपत्रों की कम प्राप्ति होने और वित्त, मंत्रालय द्वारा पहली दो तिमाहियों में व्यय पर प्रतिबंध होने के कारण हुई।

(ख) "महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण मिशन" – ₹50725.11 लाख की बचत (₹76399.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने, उपयोग प्रमाणपत्रों की प्राप्ति न होने, अन्य मंत्रालयों से दावों की प्राप्ति न होने और निर्गत एलओए के सापेक्ष बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र द्वारा कम निधियों का उपयोग किए जाने के कारण हुई।

(गा) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक – अम्ब्रेला आईसीडीएस" – ₹22658.27 लाख की बचत (₹45000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(घा) "जनजाति क्षेत्र उप–योजना – अम्ब्रेला आईसीडीएस" – ₹9101.16 लाख की बचत (₹19436.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

बचतें उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा समतुल्य हिस्सा न जारी किए जाने के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष "3601" – "केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम" – के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः–

of less training programmes and delay in setting up of CARA office.

(B) "Women's Welfare"-

(a) "Support to Autonomous Bodies" - saving of ₹1008.67 lakhs (against the sanctioned provision of ₹9250.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, less tours undertaken, conduction of less seminars and conference, less receipt of utilization certificates from States/UTs and restriction of expenditure in the first two quarter by the Ministry of Finance.

(b) "Mission for Protection and Empowerment for Women" - saving of ₹50725.11 lakhs (against the sanctioned provision of ₹76399.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, non-receipt of utilization certificates, non-receipt of claims from other Ministries and utilization of less funds by the UTs without Legislature against Letter of Authorisation issued.

(C) "Special Component Plan for Scheduled Castes- Umbrella ICDS" - saving of ₹22658.27 lakhs (against the sanctioned provision of ₹45000.00 lakhs); and

(D) "Tribal Area Sub-Plan - Umbrella ICDS" - saving of ₹9101.16 lakhs (against the sanctioned provision of ₹19436.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to non-release of matching share by State Governments.

(IV) Under Major Head "3601" - "Centrally Sponsored Scheme" - savings occurred under the following heads :-

(का) “केन्द्रीय सहायता / हिस्सा” –

(क) “एकीकृत बाल विकास सेवाएं (अम्ब्रेला आईसीडीएस)” – ₹417381.79 लाख की बचत (₹1550503.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) उपयोग प्रमाणपत्रों की प्राप्ति न होने, नीति आयोग द्वारा स्कीम के मूल्यांकन का अंतिम रूप न दिए जाने, समुदाय आधारित गतिविधियों का आयोजन न होने, कोविड–19 महामारी की वजह से प्रौद्योयोगिकीय क्षमता निर्माण प्रशिक्षण होने और लाभार्थियों की कम संख्या होने के कारण हुई।

(ख) “महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण मिशन” – ₹17965.43 लाख की बचत (₹23946.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(खा) “अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना” –

(क) “आंगनबाड़ी सेवाएं” – ₹127671.03 लाख की बचत (₹496908.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

बचतें उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत राज्यों से उपयोग प्रमाण–पत्रों की प्राप्ति न होने के कारण हुई।

(ख) “किशोरियों के लिए स्कीम” – ₹3807.00 लाख की बचत (₹4600.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(गा) “जनजातीय क्षेत्र उप–योजना” –

(क) “किशोरियों के लिए स्कीम” – ₹1820.53 लाख की बचत (₹2150.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

बचतें उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत स्कीम के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या कम होन के कारण हुईं।

(A) “Central Assistance/Share” -

(a) “Integrated Child Development Services (Umbrella ICDS)” - saving of ₹417381.79 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1550503.00 lakhs) was due to non-receipt of utilization certificates, non-finalization of scheme evaluation by NITI Ayog, non-holding of community based activities, technological capacity building training owing to COVID-19 pandemic and less number of beneficiaries.

(b) “Mission for Protection and Empowerment for Women” - saving of ₹17965.43 lakhs (against the sanctioned provision of ₹23946.00 lakhs); and

(B) “Special Component Plan for Scheduled Castes” -

(a) “Aanganwadi Services” - saving of ₹127671.03 lakhs (against the sanctioned provision of ₹496908.00 lakhs).

Saving under the above two heads were due to non-receipt of utilization certificates from States.

(b) “Scheme for Adolescent Girls” - saving of ₹3807.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4600.00 lakhs); and

(C) “Tribal Area Sub-Plan” -

(a) “Scheme for Adolescent Girls” - saving of ₹1820.53 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2150.00 lakhs).

Saving under the above two heads were due to less number of beneficiaries under the scheme.

(ख) "आंगनबाड़ी सेवाएं" – ₹48384.48 लाख की बचत (₹180185.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) उपयोग प्रमाणपत्रों के प्राप्त नहीं होने का कारण हुई।

(b) "Anganwadi Services"- saving of ₹48384.48 lakhs (against the sanctioned provision of ₹180185.00 lakhs) was due to non-receipt of utilization certificates.

(V) मुख्य शीर्ष "3602" – "केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम – केन्द्रीय सहायता/हिस्सा – महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण मिशन" – ₹2154.56 लाख की बचत (₹2238.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) उपयोग प्रमाणपत्रों की प्राप्ति न होने और पिछले वर्ष की अव्ययित शेष की उपलब्धता होने के कारण हुई।

(V) Under Major Head "3602" - "Centrally Sponsored Scheme-Central Assistance/Share - Mission for Protection and Empowerment for Women" - saving of ₹2154.56 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2238.00 lakhs) was due to non-receipt of utilization certificates and availability of unspent balance of previous year.

(VI) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹319.02 लाख की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 21 प्रतिशत थीं।

(VI) Under one head saving of ₹319.02 lakhs occurred constituting 21 percent of the sanctioned provision.

2. उपर्युक्त बचतें मुख्य शीर्ष "3602" – "केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम – केंद्रीय सहायता/हिस्सा – एकीकृत बाल विकास सेवाएं" – ₹19795.64 लाख का अधिक व्यय (₹19253.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) नए बनाये गए जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र द्वारा अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

2. The above savings were partly offset by excess under Major Head "3602" - "Centrally Sponsored Scheme - Central Assistance/Share - Integrated Child Development Services" - excess of ₹19795.64 lakhs (against the sanctioned provision of ₹19253.00 lakhs) was due to requirement of additional funds by newly created Union Territory of Jammu and Kashmir.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, कुल बचतें (₹453.39 लाख) सितम्बर, 2020 में प्राप्त किए गए ₹500.00 लाख के पूरक अनुदान का 91 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 90 प्रतिशत थीं।

3. In the capital section of the grant, the overall savings (₹453.39 lakhs) constituted 91 percent of the supplementary grants of ₹500.00 lakhs obtained in September, 2020 and 90 percent of the total sanctioned provision.

बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईः–

Savings occurred under the following major head :-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "4235"	Major Head "4235"				
सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Social Security and Welfare				
मू.	O.	1.00			
पू.	S.	500.00	47.61	47.61	..
पु.	R.	-453.39			

(I) "समाज कल्याण – बाल कल्याण – पोषण में एकीकृत शिक्षा" के अंतर्गत ₹1.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹500.00 लाख के पूरक अनुदान को प्राप्त करके बढ़ाकर ₹501.00 लाख कर दिया गया जो, तथापि, ₹453.39 लाख की सीमा तक निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति होने, अधिप्राप्ति प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने और खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं के लिए उपकरणों को स्थापित/परिचालित न किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(I) Under "Social Welfare - Child Welfare - Integrated Education in Nutrition" - the original provision of ₹1.00 lakh was augmented to ₹501.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹500.00 lakhs which, however, remained unutilized to the extent of ₹453.39 lakhs - due to slow pace of construction activities, non-finalisation of procurement proposals and non-installation/operation of equipments for food testing laboratories.